भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड–3 उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

<u>अधिसूचना सं0 72 (आर.ई.–2013)/2009–2014</u>
नई दिल्ली, दिनांक 04 मार्च, 2014

विषयः <u>प्याज के लिए निर्यात नीति</u>।

सा.आ.(अ.) विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैरा 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, दिनांक 26.12.2013 की अधिसूचना सं. 61 (आरई–2013)/2009–14 के साथ पठित दिनांक 29.06.2012 की अधिसूचना सं. 03 (आर.ई.–2012)/2009–2014 के पैरा 2 को तत्काल प्रभाव से संशोधित करती है।

2. दिनांक 29.6.2012 की अधिसूचना सं. 03 (आर.ई.–2012)/2009–2014 के संशोधित पैरा 2 को अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

"प्याज के निर्यात के लिए एमईपी (न्यूनतम निर्यात मूल्य) को अगले आदेश तक हटाया जाता है।"

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

प्याज के निर्यात के लिए एमईपी (न्यूनतम निर्यात मूल्य) की शर्त को हटा दिया गया है।

(अनुप के. पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/922/एएम08/पीसी III/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)